

भूमि अर्जन प्रारूप - 7		
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट		
भूमि अर्जन वाद संख्या- आठ-02 (2015-16)		
1	परियोजना का नाम	126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन परियोजना।
2	घोषणा संख्या एवं तारीख जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया गया हो।	787 / XVIII(3) / 2017-02(61) / 2017 देहरादून 09 नवम्बर 2017
2	भूमि की अवस्थिति	
(i)	ग्राम	चिलगढ़ तल्ला
(ii)	परगना	बारहस्यू
(iii)	तहसील	श्रीनगर
(iv)	जिला	गढ़वाल
3	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	1.600 है०
4	अर्जक निकाय का नाम	रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश
5	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की हकदारियां	
(i)	आवंटित किये जाने वाले आवास / भवन के बदले एक मुस्त रकम	-
(ii)	आवंटित किये जाने वाली भूमि	-
(iii)	विकसित भूमि के लिये प्रस्थापना	-
(iv)	प्रभावित कुटुम्बों के लिये वार्षिकी / नियोजन का विकल्प	3000000
(v)	जीवन निर्वाह अनुदान (एक वर्ष के लिये) 3000x12=36000	-
(vi)	विस्थापित कुटुम्बों के लिये परिवहन व्यय एक बारगी (रू० 50 हजार)	-
(vii)	पशुशाला / मोटी दुकान / छोटी दुकान	-
(viii)	शिल्पी छोटे व्यापारी और अन्य को एक मुस्त अनुदान	-
(ix)	मत्स्य पालन अधिकार	-
(x)	विस्थापित कुटुम्बों के लिये पुनर्वासन भत्ता एक बारगी (रू० 50 हजार)	-
(xi)	स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस	-
6	जिस तारीख को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां	.....
7	परिकलन का आधार	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना
8	वृक्ष, आवास या किसी अन्य अचल सम्पत्ती के लिये स्वीकृत रकम	धारा 23 के अधीन देय
9	फसलों के लिये स्वीकृत रकम	-
10	धारा-30 (3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर	धारा 23 के अधीन देय
11	2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन नुकसान	-
12	धारा 30 (1) के अधीन मुआवजा	-
13	कुल रकमें	3000000


जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील पौड़ी के ग्राम चिलगढ़ तल्ला, परगना-बारहस्यू में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-23 के अधीन दिनांक 26 अप्रैल 2018 को अधिनिर्णय पारित किया गया। पारित अधिनिर्णय में अधिनियम, 2013 की धारा-33 के अनुसार अधिनिर्णयों में लिपिकीय, गणित सम्बन्धी भूलों से हुई त्रुटियों में आंशिक संशोधन पश्चात संशोधित अधिनिर्णय दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को पारित किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के उपबंध के अतिरिक्त सभी प्रभावित कुटुंबों (भू-स्वामियों और ऐसे कुटुंबों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है, दोनों) के लिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप राहत राशि देय है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-3 (ड़) में परिभाषित कुटुंबों के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश मांगे गये थे। शासन द्वारा न्याय विभाग से विधिक राय लिया जाना वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया गया जिस पर अभी तक न्याय विभाग से राय अप्राप्त है। दिनांक 30 जनवरी 2019 को आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक में पहली अनुसूची से प्रभावित कुटुम्ब को आधार मानते हुये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधीन राहत राशि तथा एक मुस्त नियोजन के विकल्प को दिये जाने के निर्देश दिये गये।

ग्राम चिलगढ़ तल्ला में भूमि के अर्जन के फलस्वरूप कोई भी कुटुम्ब विस्थापित की श्रेणी में नहीं है। फलस्वरूप परियोजना से प्रभावित 6 कुटुम्बों को अधिनियम की अनुसूची 2 के बिन्दु 4 के अनुसार नियोजन के विकल्प के अधीन धनराशि देय है। अन्य प्रभावित कुटुम्ब ग्राम चिलगढ़ मल्ला एवं ग्राम

अतः आज दिनांक 25 फरवरी 2019 को जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील श्रीनगर के ग्राम चिलगढ़ तल्ला, परगना-बारहस्यू में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के फलस्वरूप प्रभावित कुटुम्बों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची के अनुसरण में रू० 3000000.00 (तीस लाख मात्र) का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय घोषित करता हूँ।

दिनांक 25 फरवरी 2019

  
(धीराज सिंह गर्वाल)  
कलक्टर,  
गढ़वाल।

ग्राम विलग्न तल्ला में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हकदारों के अग्रयव

क्र० सं०	खतौनी सं०	नाम कारस्तकार मय वन्दियत	विस्थापन की दशा में		भूमि के बदले भूमि	विकासित भूमि के लिये प्रस्थापना	वार्षिकी/नियोजन का विकल्प			विस्थापित कुटुम्बों के लिये जीवन निर्वाह अनुदान 1 वर्ष के लिये	विस्थापित कुटुम्बों के लिये परिवहन खर्च	पशु बाड़ा छोटी दुकान, खर्च	काशीगर छोटे व्यापारियों को अनुदान	मछली पकड़ने का अधिकार	पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	रतम शुल्क	रजि स्ट्रेशन फीस	मं
			इन्दिरा आवास योजना के अनुसार एक निर्मित मकान	मकान के समतुल्य खर्च			नियोजन का विकल्प	5.00 लाख प्रति प्रभावित कुटुम्ब	20 वर्ष तक 2 हजार प्रति माह									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	30
1	3	उदय सिंह पुत्र मथरू	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	3	मदन सिंह पुत्र फतरू	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	3	नरथी पुत्र नन्दी	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	3	तोता सिंह पुत्र ज्ञान सिंह	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	3	गोदानन्दी देवी पत्नी रामचन्द्र सिंह	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	9+12	रूपराम पुत्र हरिशाह	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
कुल योग			0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

तैयारकर्ता

जांचकर्ता

(कुलदीप शैलजा)

प्रवर सहायक

का०-वि०मू०अ०अ०,पौड़ी।

(राजमोहन चमोली)

भूमि अर्जन निरीक्षक

का०-वि०मू०अ०अ०,पौड़ी।

(रामजी शरण शर्मा)

अपर जिलाशिक्षारी,

गढ़वाल।

(धीरज सिंह गव्यार)

कलक्टर

गढ़वाल।